पत्रांक 1651 / एम एस कैम्प/20
दिनांक 1-8-19

मानीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–681/2018 दिनांक 08.10.2018 में पारित आदेशों के अनुक्रम में प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में पुनर्गठित "वायुगुणता अनुश्रवण समिति" की दिनांक 25.07.2019 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 25.07.2019 को बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय स्थित द्वितीय तल सभागार में उ0प्र0 शासन द्वारा पुनर्गठित "वायुगुणता अनुश्रवण समिति" की बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों/अधिकारियों का विवरण संलग्न है।

2– बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों/अधिकारियों को प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 राज्य में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण की स्थिति तथा तत्सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्रदेश के विभिन्न नगरों में परिवेशीय वायुगुणता में आपेक्षित सुधार लाने के दृष्टिगत समस्त प्रशासनिक स्तरों एवं सम्बन्धित विभागों के स्तर पर सतत् अनुश्रवण किया जाना आवश्यक है। वायुगुणता में सुधार हेतु कार्ययोजना बनायी गयी है, जिसमें विभिन्न सम्बन्धित विभागो हेतु कार्यबिन्दु निर्धारित किये गये है, जिसके क्रियान्वयन की समीक्षा प्रत्येक माह मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा की जायेगी। यह भी अवगत कराया गया कि उक्त के संबंध में बनी कार्ययोजना की प्रति, मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश की प्रति, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश आदि की प्रति पूर्व में सभी संबंधित विभागों/सम्बन्धित जिलाधिकारियों को उनसे संम्बन्धित कियाशील बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जा चुकी है।

3– अग्रेतर सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उ0प्र0 के नान अटेनमेन्ट शहरों में वायुगुणता के सुधार हेतु की जा रही कार्यवाही/एक्शन प्लान तथा तत्सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागो के विषय में बैठक में निम्न बिन्दुओं से अवगत कराया गया :–

1. वायु प्रदूषण के दृष्टिगत देश में कुल 102 नान अटेनमेन्ट शहर चिन्हित हैं तथा इन शहरों में 15 शहर उ0प्र0 राज्य में चिन्हित है तथा इन शहरों में वायुगुणता मे सुधार लाने हेतु कार्ययोजना बनायी गयी है जिसमें वायुगुणता में सुधार हेतु अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपायो का समावेश किया गया है तथा इसी क्रम में कार्यवाही की जानी है। प्रदेश में चिन्हित 15 शहरों यथा आगरा, प्रयागराज, अनपरा, बरेली, फिरोजाबाद, गजरौला, गाजियाबाद, झाँसी, कानपुर, खुर्जा, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, रायबरेली तथा वाराणसी नगरों की वायुगुणता में सुधार लाने हेतु कार्ययोजना बनायी गयी है, जिसमें अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उपायों को सम्मिलित किया गया है तथा इसमें विभिन्न विभागो हेतु दायित्व निर्धारित है। कार्ययोजना तथा इस सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश, शासन द्वारा जारी निर्देशों आदि का विवरण तत्सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित वेबसाइट www.uppcb.com पर उपलब्ध है, जिसके द्वारा

MoM
C. Lab
31/07/19
(आशीष तिवारी) सदस्य सचिव

SO
31/07

सम्बन्धित विभागो द्वारा समस्त वांछित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

2. कार्ययोजना के प्रभावी कियान्वयन हेतु त्रिरतरीय समीक्षा का प्राविधान किया गया है, जिसके अर्न्तगत जिला स्तर पर जिला पर्यावरण समिति द्वारा तथा शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा समीक्षा किया जाना प्राविधानित है तथा इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14.06.2019 निर्गत किया गया है।

4– बैठक में विचार–विमर्श के उपरान्त प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये :–

1. नॉन–अटेन्मेन्ट शहरों में वायुगुणता में सुधार लाने हेतु बनायी गयी कार्ययोजना के अर्न्तगत निर्धारित टेन्टेटिव लक्ष्य के अर्न्तगत सम्बन्धित शहरों की वायुगुणता में वर्ष 2024 तक पी0एम0$_{10}$ तथा पी0एम0 2.5 प्रचालकों की मात्रा में 20–30 प्रतिशत कमी लाये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित है तथा इस हेतु सभी सम्बन्धित विभागों से समुचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। इन शहरों की वायुगुणता में सुधार हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नेशनल क्लीन एअर प्रोग्राम (एन0सी0ए0पी0) लागू किया गया है। वायुगुणता में पी0एम0 10 तथा पी0एम0 2.5 प्रचालकों के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गयी।

2. कार्ययोजना में वर्णित समस्त दीर्घकालिक एवं लघुकालिक कार्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई एवं उनके क्रियान्वयन हेतु समस्त संबधित विभागों के उपस्थित प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। उक्त के संबंध में सम्बन्धित विभागो में नोडल अधिकारी नामित करते हुए अधिकारी का नाम, मोबाईल नम्बर, ई–मेल आदि विवरण एक सप्ताह के अन्दर सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। **(कार्यवाही–समस्त संबंधित विभाग)**

3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार द्वारा ''नेशनल क्लीन एअर प्रोग्राम'' के अर्न्तगत प्रदेश में प्रथम चरण में पॉच मिलियन प्लस शहरों यथा वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, कानपुर एवं लखनऊ नगरों हेतु विभिन्न मदो जैसे सतत् परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण केन्द्रों (सी0ए0ए0क्यू0एम0एस0) की स्थापना, सोर्स एपोंशनमेंट स्टडी, मेकेनिकल स्वीपिंग, वाटर स्प्रिंकलर, मोबाइल इन्फोर्समेंट यूनिट, जन जागरूकता एवं क्षमता विकास, वृक्षारोपण इत्यादि के अर्न्तगत रू0 10 करोड़ प्रति नगर की दर से धनराशि स्वीकृत करायी गयी है। धनराशि प्राप्त होते ही त्वरित कार्यवाही/प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाय। **(कार्यवाही–समस्त संबंधित विभाग)**

(कार्यवाही–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/नगर विकास विभाग/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/विकास प्राधिकरण)

4. उपस्थित प्रतिनिधियों को कार्ययोजना के दीर्घकालिक एवं लघुकालिक कार्य बिन्दुओं के क्रियान्वयन हेतु बजट प्राविधान सहित डी0पी0आर0 की स्थिति तथा समयसीमा की सूचना सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये ताकि इसे कार्ययोजना में सम्मिलित किया जा सके।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित विभाग)

5. विभिन्न विभागों को अवगत कराया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निःशुल्क पेड़ उपलब्ध कराये जा रहें हैं। विभागों द्वारा अपने परिसर में वृक्षारोपण कराया जाय। विभागों को जापान द्वारा विकसित "मियावाकी" एवं देश में प्रचलित "इकोसिख" पद्धति पर छोटे–छोटे जंगल विकसित किये जाने हेतु नगर विकास की भूमि/अन्य स्थलों/उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/ नगर विकास विभाग/विकास प्राधिकरण)

6. कैनाल/ड्रेन की सफाई से निकले मलबे को इधर–उधर फैलने से रोकने के दृष्टिगत इस पर वृक्षारोपण करने हेतु निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही–सिंचाई विभाग)

7. अपर परिवहन आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि मौंरग, बालू इत्यादि बन्द वाहनों अथवा त्रिपाल ढ़के वाहनों से ही ढ़ोने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाय। प्रदेश के नान–अटेंन्टमेंट नगरों में वायुगुणता में सुधार लाने के दृष्टिगत बैट्री चलित वाहनों, टेम्पों आदि को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाय।

(कार्यवाही–परिवहन विभाग)

अंत में धन्यवाद सहित बैठक सम्पन्न हुई।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या–NGT-329/81–7–2019–09(रिट)/2019
लखनऊ : दिनांक : 31 जुलाई, 2019

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
नगर विकास/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/परिवहन/गृह/
लोक निर्माण/कृषि/आवास एवं शहरी नियोजन/उद्यान/सिंचाई/

खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।

2– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।

3– आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति, उ0प्र0।

4– प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कानपुर।

5– निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0, लखनऊ।

6– क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ।

7– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।